

आदेश व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 382/2024 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

बैद फिनसर्व लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय- द्वितीय तल, 1, तारा नगर, अजमेर रोड़, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. चिरंजी लाल सैनी पुत्र मोहन लाल सैनी,
2. सुनीता देवी सैनी पत्नी चिरंजी लाल सैनी,
3. रवि सैनी पुत्र चिरंजी लाल,

पता:- प्लॉट नम्बर 2ए व 2 सी, नांगल जैसा बोहरा, बैनाड़ रोड़, जयपुर।

4. लोकेश शर्मा पुत्र स्व. राम किशन शर्मा,

पता:- प्लॉट नम्बर 27, कृष्णा नगर, आमेर रोड़, जोरावर सिंह गेट, आमेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security  
Interest Act, 2002




श्री विक्रम सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 19.11.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.06.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी चिरंजी लाल सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 1/37, नारायण कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 123.12 वर्गगज को बंधक रख कर कुल राशि 20,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.07.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इम्बदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की हैं।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।


  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अंतर्गत से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 20,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक/हाईपोथिकेशन के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए धारित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 46,74,119/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.07.2021 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का द्वितीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा द्वितीय संस्था को बकाया ऋण राशि का मुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बंधक/हाईपोथिकेटेड रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक/हाईपोथिकेटेड रखी गई सम्पत्ति का नौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी किरंजी लाल सोनी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 1/37, नारायण कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 123.12 वर्गगज का नौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना नोटिफिकेशन हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से उक्त होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलेक्टर) जयपुर